

पंजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
घट मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली

पत्र संख्या-नि०-२/एन००००१००१०/

/2015-16 दिनांक ८५/६/२०१५

विषय- अधिकारी इंटरनेशनल स्कूल (ARCHISHA INTERNATIONAL SCHOOL) लखनऊ हरदोई रोड, पोस्ट बघौली, जिला हरदोई को सी०बी०एस०ई० योर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौरिला फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजमिनेशन, (आई०सी०एस०ई०) नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अधिकारी में बॉय सर्वुलेशन वैटक में लिये गये निर्धारित के अनुसार अधिकारी इंटरनेशनल स्कूल (ARCHISHA INTERNATIONAL SCHOOL) लखनऊ हरदोई रोड, पोस्ट बघौली, जिला हरदोई को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिवर्णनों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है।


1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का रामय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें ००३० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मौग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासन/प्रशासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश/निर्देश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
9. जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोन्ना प्रति गूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल विल्डिंग कोड में प्राविधिकता सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभांति प्रशिक्षित है।

Archisha International school hardoi

Archisha International School

Uma Nigam
Trustee

Dolly K
Principal



10. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूंक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

श्रीमती (सुल्ता सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

एच मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

पृष्ठ सं-०२/एन०ओ०सी० / ३८५४४-६०५ / 2014-15 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3. जिलाधिकारी हरदोई।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उम्प्र०, लखनऊ।
- ✓ 7. प्रबन्धक, अधिशा इंटरनेशनल स्कूल (ARCHISHA INTERNATIONAL SCHOOL) लखनऊ हरदोई रोड, पोस्ट बॉली, जिला हरदोई।
8. गार्ड फाइल

श्रीमती (सुल्ता सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एच मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

Archisha International school hardoi

Archisha International School

Um. Nijam

Trustee

